बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014
संख्या– FC 694

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक– 06/7/2018

विषय – गया जिलान्तर्गत ढुंगेश्वरी पर्वत पर रज्जू पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.64 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

गया जिलान्तर्गत ढुंगेश्वरी पर्वत पर रज्जू पथ के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन का प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि०, पटना का प्रस्ताव वन संरक्षक, गया अंचल, गया के माध्यम से प्राप्त है। विषयांकित परियोजना का निर्माण मौजा लारपुर, खाता नं०– 1695 (New) 847 and 821 (Old) अन्तर्गत 0.64 हे० वन भूमि पर होना है जो प्राकृतिक वन भूमि है।

प्रस्तावित परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 0.64 हे० वन भूमि का अपयोजन एवं 183 वृक्षों का पातन होना है। परियोजना में अपयोजित होने वाली वन भूमि को मूल टोपो शीट नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं जो वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.1 अंकित किया गया है तथा यह भी अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 (FRA, 2006) का प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है जिसकी मूल प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

परियोजना निर्माण में पातित होने वाले वृक्षों (183) के बदले 10 गुणे वृक्षों के अर्थात् 1830 वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन वर्त्तमान मजदूरी पर प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (ii) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.64 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 4,00,640/– (रूपये चार लाख छः सौ चालीस) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा

3. परियोजना निर्माण के क्रम में पातित होने वाले वृक्षों (183) के बदले 10 गुणे वृक्षों के अर्थात् 1830 वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन वर्त्तमान मजदूरी दर पर प्रस्ताव के साथ संलग्न है। वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में अद्यतन दर पर जमा कराया जायेगा।

4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 600/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न कर भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।